झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक : *दिनांकः*

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– *मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 है0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।*

प्रसंग :– *इस कार्यालय का पत्रांक 1678 दिनांक 10.04.2017 एवं आपका पत्रांक 1000 दिनांक 14.04.2017*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर चार बिन्दुओं पर की गई पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसपर अपके प्रसांगिक पत्र द्वारा पृच्छा संख्या 01 एवं 04 के अनुपालनार्थ समर्पित निराकरण प्रतिवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया गया था। प्राप्त निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक 1761 दिनांक 18.04.2017 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल को पत्र लिखा गया। उक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक 1799 दिनांक 03.05.2017 द्वारा पृच्छा संख्या 04 के अनुपालनार्थ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। साथ ही पृच्छा संख्या 01 के संदर्भ में प्रयोकता सस्थान को इस कार्यालय के पत्रांक 1885 दिनांक 26.04.2017 द्वारा पत्र लिखा गया था। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2017 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है। समर्पित प्रतिवेदनों के आलोक में पृच्छा संख्या 01 एवं 04 के निराकरण की स्थिति निम्नवत दी जा रही है :–

क0 सं0	पृच्छा	पृच्छा का निराकरण
1	*जिला खनन पदाधिकारी के ज्ञापांक 13 दिनांक 04.01.2016 द्वारा खनन पट्टा के स्वीकृति के पूर्व 16 शर्त्तों का उल्लेख किया गया है। जिसमें शर्त्त संख्या –01 में पर्यावरणीय स्वीकृति* (Environment	प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2017 द्वारा सूचित किया है कि विषयांकित प्रस्ताव हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के कम में सभी आवश्यक अभिलेख यथा Form I, pre-feasibility report, approved mining

	Clearance) *का प्रमाण पत्र दाखिल करने हेतु प्रयोक्ता संस्थान को निदेशित किया गया है, जिस प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।*	plan एवं अन्य अभिलेख अध्यक्ष SEIAA झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित करने की कार्रवाई की जा रही है।
4	*वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल के ज्ञापांक 1357 दिनांक 13.04.2016 से यह स्पष्ट नही है कि अतिकमण रहित है या नही।*	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1799 दिनांक 03.05. 2017 द्वारा सूचित किया है कि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि स्थलीय निरीक्षणोंपरांत वर्त्तमान में अतिक्रमण से मुक्त है (पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है)।

अतः आपके पत्रांक 1000 दिनांक 14.04.2017 द्वारा पृच्छा संख्या 01 एवं 04 के अनुपालनार्थ किये गये आपत्ति के संबंध में समर्पित निराकरण प्रतिवेदन को प्रस्ताव में सम्मिलित कर मूल प्रस्ताव आठ–आठ प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक 596 दिनांक 06.02.2017 एवं पत्रांक 1678 दिनांक 10.04.2017 द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नक – यथोक्त।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल।

Letter to CF Ms Ramchander Mehta (FCA M/s Ram Chandra Mehta fol)